वर्ष 2020 से अबतक

- **मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना-** राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने, अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास एवं उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2018 से लागू मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में **वर्ष 2020 से अति पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी।** इस योजना में उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है जिसमें 5 लाख रुपये का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

  इस योजना के तहत अबतक चयनित 9 हजार 205 आवेदकों को कुल 601 करोड़ 21 लाख रु0 की राशि वितरित की गयी है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-** प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। केन्द्र प्रायोजित इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता था, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रु0 थी। राज्य सरकार के द्वारा यह महसूस किया गया कि बडी संख्या में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र-छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कुछ अधिक होने की स्थिति में, वे इस लाभ से वंचित रह जाते हैं।

  वर्ष 2021-22 से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को और अधिक संख्या में लाभान्वित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना' लागू किया गया है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है, जिनके अभिभावक की **वार्षिक आय 2.50 लाख रु0 से 3.00 लाख रु0 तक** थी। केन्द्र सरकार के द्वारा मई 2022 में नई मार्गदर्शिका लागू की गयी जिसके अनुसार पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत व्यवसायिक कोर्सों को लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क रु0 10 हजार का प्रावधान किया गया जबकि पूर्व से संचालित योजना के तहत व्यवसायिक कोर्स के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क अधिकतम रु0 90 हजार प्रति वर्ष निर्धारित था। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित थी जबकि पीएम यशस्वी योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य के बीच फण्ड शेयरिंग 60:40 है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2022-23 में पूर्व से लागू मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को विलोपित करते हुए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत इन वर्गों के वैसे छात्र जिनका स्वयं की आय सहित माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये मात्र से अधिक नहीं हो, इस स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

- **'मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'** के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 लाख 61 हजार 235 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ है। अब तक 22 हजार 901 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

- **मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना-** पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा- कैट, मैट आदि प्रबंधन से संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा-क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं के निःशुल्क तैयारी कराने हेतु **इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2021-22 से किया गया है।** मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत कुल 10 केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से वर्तमान में 09 केन्द्र संचालित हैं। शेष 01 केन्द्र को संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है।

  इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 तक इसके तहत कुल 958 (नौ सौ अंठावन) छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

- **सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण -** पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएँ, जो शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु से अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में राज्य के 8 जिलों में 100 आसन वाले कुल 10 अन्य पिछडा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 जिलों में एक-एक 100 आसन वाले अन्य पिछडा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार इस योजना से राज्य के सभी जिलों में एक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान में 20 जिलों में 23 छात्रावास संचालित है तथा शेष जिलों में निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संचालित छात्रावासों में कुल 2,047 (दो हजार सैतालीस) छात्र- छात्राएँ नामांकित हैं।

  इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में औसतन 2 हजार 840 छात्र- छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया गया है।

- राज्य में संचालित सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र विकसित किया गया है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अध्ययन के माध्यम से प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना एवं विशेषज्ञों तथा पूर्ववर्ती सफल छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित करना है। वर्ष 2022-23 में औसतन 2 हजार 840 छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया गया है।

  वर्ष 2021-22 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय योजना के तहत सभी जिलों में 520 आसन वाले कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालायों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

  वर्ष 2022-23 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं आधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला की सुविधा शुरु की गयी।

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना** के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक आय की अधिसीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना-** पूर्व में केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ग 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता था। परन्तु भारत सरकार की नई मार्गदर्शिका में मात्र वर्ग 9 एवं 10 के छात्र-छात्राओं को ही आच्छादित किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके कारण बड़ी संख्या में इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित होना पड़ता। इसी आलोक में **बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को आच्छादित करने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

- **बिहार जाति आधारित गणना 2022, बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण तथा बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण-**

  राज्य सरकार के द्वारा बिहार जाति आधारित गणना 2022 का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। इसके आंकड़ों को गाँधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2023 को निर्गत किया गया। गणना के अनुसार बिहार में पिछड़े वर्गों के लोगों की कुल आबादी 03 करोड़ 54 लाख 63 हजार 936 है जो राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 का 27.12 प्रतिशत है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की कुल जनसंख्या 04 करोड़ 70 लाख 80 हजार 514 है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 36.01 प्रतिशत है।

  जाति आधारित गणना के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा बिहार सरकार की सेवाओं तथा राज्य सरकार से पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को पूर्व में दिये जा रहे आरक्षण को क्रमशः 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

- **वर्ष 2023-24 में विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन लगभग 900 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।**

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

बिहार सरकार

बिहार सरकार के विकास के बढ़ते कदम...

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे) के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए एकमुश्त ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे) के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- पूर्व में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

छात्रावास में मुफ्त खाद्यान्न योजना

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं को 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) दिया जायेगा।
- खाद्यान्न के क्रय, हथालन एवं परिवहन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र/छात्राओं की रुचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलों गेहूँ की आपूर्ति की जाएगी। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में की जायेगी।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

Nov. 2024

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। **'सामाजिक न्याय'** के महत्व को समझते हुए नीतियों का सूत्रण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। बिहार में आर्थिक विकास के ध्येय के साथ कार्य कर रही राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास के लक्ष्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया गया है। **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व** में राज्य सरकार का उद्देश्य उन सभी लोगों को सशक्त बनाने की है, जो वंचित हैं और हाशिए पर हैं। समाज के कमजोर, साधनहीन एवं वंचितों का विकास हो सके और सभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव बना रहे, यह राज्य सरकार का संकल्प है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है **'लोगों की सेवा'।** बिहार के लोगों की बात की जाए तो हाल के जाति आधारित गणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे बड़ा हिस्सा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का है। सरकार अपने प्रयासों से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु भी पूरी प्रतिबद्धता से काम भी कर रही है।

वर्ष 2007-08 में राज्य के पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार और सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **एक स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया। 1 अप्रैल 2007 से यह विभाग कार्यरत है।** इस विभाग द्वारा इन वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पता इस बात से भी चलता है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस विभाग का वार्षिक योजना बजट जहाँ 42.17 करोड़ (बयालीस करोड़ सत्रह लाख) था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1878.53 करोड़ (एक हजार आठ सौ अठहत्तर करोड़ तिरपन लाख) हो गया। इस प्रकार इस **विभाग का योजना आकार पंद्रह वर्षों में बढ़कर लगभग 44 गुणा हो गया।** इसका लाभ इस वर्ग के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के रूप में मिला।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए कई कदम उठाए गये हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शिक्षा हेतु छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। उन्हें छात्रवृति के साथ-साथ छात्रावास में रहने की स्थिति में अनुदान राशि एवं खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कई तरह की प्रोत्साहन योजनाओं के साथ-साथ इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी दी जा रही है। इस वर्ग के लोगों में उद्यमशीलता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं से इन वर्गों के बच्चों में शिक्षा के प्रति एक जागृति आई है। इनके अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए हैं। इन वर्गों के लोगों में शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव से सामाजिक बदलाव भी आये हैं। इससे वे सामाजिक रूप से सबल हुए हैं तथा शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

वर्ष 2005 से 2010

- बिहार विधान मंडल से बिहार पंचायती अधिनियम, 2006 पारित होने के बाद बिहार पूरे देश में ऐसा पहला राज्य बना, जिसने अति पिछड़े वर्ग के लिए पंचायतों में 20 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया गया। इसके बाद वर्ष 2007 में त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगर निगमों एवं नगर निकायों के सभी कोटि के पदों पर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20 प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान कर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- **वर्ष 2006-07 में पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग तथा अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया।**
- **वर्ष 2006-07** से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना लागू की गयी।

  इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान करते हुए राशि आवंटित किया गया है।
- **वर्ष 2007-08** में राज्य के पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार और सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **एक स्वतंत्र 'पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग' का गठन किया गया।**
- **पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 10वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2006-07 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाई गयी।**

  इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 से अबतक 10 करोड़ 44 लाख 96 हजार 654 पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- **पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2007-08 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना चलाई गयी।**
- **जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास -** ऐसा महसूस किया गया कि गाँव के बच्चे जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थानों में अगर पढना चाहते हैं तो उनको रहने की काफी समस्या होती है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे जिला मुख्यालय में रहने का खर्चा उठा सके। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को जिला मुख्यालय स्थित शैक्षणिक संस्थानों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु उनके रहने की उत्तम व्यवस्था प्रदान करना चाहती है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय **वर्ष 2008-09** से अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में संचालित छात्रावासों में कुल 3,120 छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं।
- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना -** ऐसा देखा जाता था कि अति पिछड़ा वर्ग के कई छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा हेतु पढ़ाई जारी रखने में रूचि नहीं दिखाते थे। उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वर्ष 2008-2009 से **'मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना'** लागू की गयी है। इस योजना का मूल उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को आगे पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को एकमुश्त 10 हजार रूपये की राशि दी जाती है।

  मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत अबतक कुल 8 लाख 99 हजार 525 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं तथा **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** के तहत अबतक 5 लाख 18 हजार 716 पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2010 से 2015

- **अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय योजना-** इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2010-11 से किया गया है। इस योजना के तहत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
- वर्ष 2012-13 से **महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना** लागू की गयी। इसके अन्तर्गत शिक्षा सेवकों **(तालीमी मरकज)** के माध्यम से अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इनके माध्यम से विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों, पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों तथा नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को चिह्नित कर उन्हें नियमित तरीके से विद्यालय लाने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा सेवकों के द्वारा पठन-पाठन, मध्याह्न भोजन, खेलकूद सहित अन्य कार्यों में भी अपना सहयोग दिया जा रहा है।

वर्ष 2015 से 2020

- **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना-** यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रतिकेंद्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। राज्य के प्रत्येक जिलों में एक-एक केंद्र के संचालन की कार्रवाई की जा रही है।

  इस योजना के तहत अबतक कुल 15 हजार 676 छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षित किया गया है।
- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना -** पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से **'मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'** लागू की गयी है। इस योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले पिछड़ा वर्ग के प्रथम श्रेणी से 10वीं पास करने वाले छात्रों को 10 हजार रूपये की राशि दी जाती है।
- **'छात्रावासों में आवासित छात्र-छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की आपूर्ति'-**छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को बेड, फर्नीचर, बर्तन, रसोइया, इत्यादि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। सरकार की यह सोच थी कि यदि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को खाद्यान्न की भी डोर स्टेप डिलीवरी के तहत उनके छात्रावास तक सीधे पहुँचा दिया जाए तो छात्रों को खाद्यान्न हेतु बाजार अथवा इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा तथा वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकेंगे। इसी उद्देश्य से **वित्तीय वर्ष 2018-19 से पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा 15 किलो मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं की रुचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है।**

  इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कुल 32 हजार 375 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। परन्तु छात्रवृत्ति की राशि उतनी अधिक नहीं होती है जिससे छात्र-छात्राओं की सभी छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो सके। छात्र-छात्राओं के इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना वर्ष 2018-19 से लागू की गयी है।

  इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उनकी छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति छात्र-छात्रा 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है। यह राशि सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

  इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कुल 32 हजार 375 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है जिसकी औसत संख्या प्रतिमाह 2हजार 698 है।
- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना -** राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को यदि कुछ सहायता प्रदान की जाती है तो ऐसे छात्र-छात्राओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी में बड़ी सहायता हो जाएगी।

  राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे अभ्यर्थी, जो सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा में पास करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से **वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।** इस योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000 (पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त 1,00,000 (एक लाख) रूपये की राशि दी जाती है।

  इस योजना के तहत अब तक 5 हजार 915 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 5 हजार 724 है तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 191 है।
- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना-** पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों की बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

  इस योजना के तहत 81 केन्द्रों पर 4 हजार 162 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।